an>

Title: Need to address the problems being faced by the farmers in Chittorgarh Parliamentary Constituency in Rajasthan.

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी **(चित्तौड़गढ़) : अध्यक्ष महोदया, आपने किसानों से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।**

मेरे संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में रूजणों की समस्या से किसान बहुत त्रस्त हैं। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में इसे नील गाय के रूप में परिभाषित किया गया है। यह कानून बनाने वाले की एक गम्भीर भूल है, जिसके कारण अन्नदाता कहलाने वाला किसान अपनी फसल को जैसे-तैसे पैदा करता है, लेकिन नील गाय का समूह उसको न केवल खा जाता है, बल्कि पूरी फसल को नष्ट कर देता है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में माननीय कानून मंत्री और कृषि मंत्री जी संशोधन करके इसको सूवी वार की जगह पांच में डालें ताकि फसल का पूरा लाभ किसान को मिल सके।

माननीय अध्यक्ष **:** श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री देवजी एम. पटेल, श्री नारणभाई काछड़िया, श्री पी.पी.चौधरी, श्रीमती संतोष अहलावत को श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।